राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 25(20)साप्र / ग्रुप–4 / 2011 जयपुर दिनांक 2/3/15

1. प्रबंधक, राजस्थान हाउस / जोधपुर हाउस / राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
3. प्रबंधक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर।

विषयः— अधिशेष / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान / वाहनों के निस्तारण की सूचना भिजवाने के क्रम में।

प्रसंगः— निरीक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5 / भौ.स. / नकारा / 14–15 / 1148–1249 दिनांक 23.02.2015

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निरीक्षण विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 23.02.2015 के क्रम में वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में बेशी / अनुपयोगी / नकारा सामान के निस्तारण से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग से 7 दिन में चाहा गया है।

अतः संलग्न निर्धारित प्रपत्र में माह फरवरी, 2015 तक बेशी / अनुपयोगी / नकारा सामान के निस्तारण का विवरण 3 दिवस में इस विभाग को प्रस्तुत करें। संबंधित सूचना सीधे निरीक्षण विभाग को नहीं भिजवाया जाकर इस विभाग को ही भिजवाना सुनिश्चित करावें :—

प्रपत्र

अनुपयोगी एवं नकारा सामान के निस्तारण का विभागवार विवरण

(वित्तीय वर्ष 2014–15)

क्र. सं.	विभाग का नाम	दिनांक 01.04.14 को उपलब्ध बेशी / नाकारा	गत माह .... 2015 तक निस्तारित	अर्जित राजस्व	माह .... के प्रारंभ की स्थिति

भवदीय

(महेन्द्र कुमार खींची)
उप शासन सचिव (क)